





फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ
गुडडी बनाम सतपाल
राजस्व वाद

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
5.2021	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) राज०</p>	
7/21 -	<p>पत्रावली पेशा वरुण्ड उपर प्रति 1 को जस्टिस के अहकाम वर्ना सोमी एरुके वकीलनाम पेश किया जवाब दावा पेशा 2110 कि हो पत्रावली वादे शेष प्रति तलबी हेतु कि 15/7/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
5/7/21 -	<p>पत्रावली पेशा वरुण्ड उपर वादे शेष जवाब दावा हेतु तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 28/7/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

..... गुडडी बनाम रमनपाल देजरह
 प्रकरण सं..... 11/139/2021 तारीख रजू..... 15.11.2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
14.2.2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली की कार्यवाही के प्रतिवादी सं. 2007 की तलबी में किया गया है। अपेक्षित दिनांक 18.1.2022 में तलबी में तलबाना पेश करने हेतु सिखा गया था। इसके बावजूद भी अंतिम अवसर के रूप में अनेक अवसर प्रदान किए गये। इसके उपरोक्त आदेशों तक तलबाना पेश नहीं किया गया है।</p> <p>निव्विल प्रक्रियासंहिता के आदेश 9 नियम 05 के अन्तर्गत में दावा खारिज किया जाया उपरि उचित होता है। अतः दावा सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 05 के अन्तर्गत में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शूअर लेकर नम्बर से कम हो। दावा तामिल तन्मील हाखिल दुफ्लर है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) रज.०</p>	

